कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 1659 / Others/25541/ 2017 ,अलीगढः दिनांकः नवम्बरः 23 ,2017

सेवामें,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः— **एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत पलवल—टप्पल—अलीगढ़ (एस0एच0—22ए) किमी0 74 (चैनेज 73.800) दांयीं पटरी खसरा सं0 141ए, ग्राम—ल्हौसरा बिसावन, तहसील—कोल, जनपद— अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.075028 है0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

संदर्भ— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 943/अलीगढ़/25541/2017 दिनांक 03.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है।

S.No.	Observation	REPLY
1	ऑनलाइन पार्ट—2 के Additional Information Detail पर प्रस्तावित वनभूमि की गणना, गैर वनभूमि की गणना, क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनवद्धता, प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनवद्धता, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण—पत्र, सुयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/सेंचुरी की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र आदि अभिलेख अपलोड नहीं है। अपलोड करें।	ऑनलाइन पार्ट—2 के Additional Information Detail पर प्रस्तावित वनभूमि की गणना, गैर वनभूमि की गणना, क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनवद्धता, प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनवद्धता, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक एवं परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/सेंचुरी की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र आदि अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है।
2	प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु संलग्न कर बचनवद्धता में अंकित क्षेत्रफल 0.075028 हे0 के स्थान पर 0.053768 हे0 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित करें एवं संशोधित बचनबद्धता ऑनलाइन भी अपलोड करें।	प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु संलग्न कर बचनवद्धता में अंकित क्षेत्रफल 0.075028 हे0 अंकित कर प्रेषित है एवं ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से नहीं बल्कि प्रभागीय निदेशक की ओर से संलग्न किया जाने वाला अभिलेख है। उक्त प्रमाण—पत्र में अंकित क्षेत्रफल 0.075028 हे0 के स्थान पर 0.037818 हे0 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित करें एवं संशोधित प्रमाण—पत्र ऑनलाइन भी अपलोड करें।	चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण—पत्र, प्रभागीय निदेशक की ओर से संलग्न कर प्रषित है एवं संशोधित प्रमाण—पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
4	लोक निर्माण विभाग के अनापत्ति एवं अनुमोदित लेआउट प्लान के प्रथम पैरा में प्रस्तावित स्थल किमी0 74 के चनैज 73.800 की दांयी पटरी पर अंकित किया गया है। किन्तु ऑनलाइन पार्ट—1 के बिन्दु—ए—1(2 व 3) में किमी0 73 के चनैज 72.800 की दायी पटरी पर अंकित किया गया है। इस विसंगति को स्पष्ट करते हुए संशोधित करें।	लोक निर्माण विभाग के अनापत्ति एवं अनुमोदित ले—आउट प्लान के प्रथम पैरा में प्रस्तावित स्थल किमी0 74 के चैनेज 73.800 के अनुसार प्रमाण पत्र संशोधित कर प्रेषित हैं एवं ऑनलाइन पार्ट—1 के बिन्दु—ए—1(2 व 3) में किमी0 74 के चैनेज 73.800 की दांयी पटरी अंकित कर दिया गया है।
5	आनलाइन पार्ट—1 के बिन्दु—ए(3) पर श्री गुलशन सेठी, डिवीजनल मैनेजर को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है, किन्तु प्रस्ताव के साथ श्री गुलशन सेठी के साथ श्री अतुल कुमार की भी पावर ऑफ अटोर्नी संलग्न की गई है तथा कतिपय अभिलेखों पर प्रयोक्ता ऐजेंसी की ओर से अलग—अलग अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रयोक्ता ऐजेंसी की ओर से एक प्रमाण—पत्र संलग्न कराने का कष्ट करें तथा प्रयोक्ता ऐजेंसी की ओर से हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ उसके नाम व पदनाम सहित सील अंकित कराने का कष्ट करें।	आनलाइन पार्ट—1 के बिन्दु—ए(3) पर श्री गुलशन सेठी, डिवीजनल मैनेजर को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है, किन्तु प्रस्ताव के साथ श्री गुलशन सेठी के साथ श्री अतुल कुमार की भी पावर ऑफ अटोर्नी संलग्न की गई है। इस सम्बन्ध में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित है। प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ उसके नाम व पदनाम सहित सील अंकित कराने का कष्ट करें।
6	प्रस्ताव के साथ संलग्न ऑफ लाइन पार्ट—1 को प्रस्ताव से पृथक कर दें इसकी आवश्यकता नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न ऑफ लाइन पार्ट—1 को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।

C:\Users\ok\Documents\D.Man-1\Land Transfer Projects\Retail Outlets\Pending\Petrol Pump Lahosara Bisawan\CA Scheme.doc

7	उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर पैंसिल के स्थान पर पेन से पृष्ठ संख्या अंकित करें एवं तद्नुसार विषय सूची को अपडेट करने का कष्ट करें।	उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर पैंसिल के स्थान पर पेन से पृष्ठ संख्या अंकित कर दिया गया है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 1659 /1410 दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0, 2314, तीसरी मंजिल, टावर ए, द कोरेन्थम, ए–41, सेक्टर 62, नोएडा–201309 (उ0प्र0)।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।